राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ.2(1441) डी.ओ.आई. टी./संस्था /13/Part II/I/13679/2013 जयपुर दिनांक 26.11.13

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की राज्य कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायकों को निम्नलिखित शैक्षणिक परीक्षाओ में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नही है :–

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापित विभाग का नाम	शिक्षण संस्था/यूनिवर्सिटी का नाम	परीक्षा का नाम	अध्ययन का प्रकार
1	श्री विनोद कुमार	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर	जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी, जयपुर	एम.सी.ए	स्वयंपाठी
2	श्री दिनेश सिंह चौहान	कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जैसलमेर	जे.एन.वी. यूनिवर्सिटी, जोधपुर	एम.ए.	स्वयंपाठी
3	श्री संदीप कुमार	कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य कैन्द्र खासोली, चुरू	के.के.सी. ग्रुप ऑफ एजुकेशन, सरदारशहर	एम.सी.ए.	पत्राचार
4	श्री अनिल कुमार	कार्यालय जिला परिवहन विभाग, झुंझुनू	इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	एम.सी.ए.	पत्राचार
5	श्री अशोक कुमार	कार्यालय जिला परिवहन विभाग, झुंझुनू	सी.वी. रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर(छत्तीसगढ़)	एम.एस.सी. आई.टी.	पत्राचार
6	श्री सतीश सैनी	मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर	जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी, जयपुर	एम.सी.ए. प्रथम वर्ष	पत्राचार
7	श्री सत्येन्द्र कुमार	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़	एन.आई.ई.एल.आई.टी. गोरखपुर	सी.एस.एस.पी.	स्वयंपाठी
8	श्री मनोज कुमार चोपड़ा	मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर	जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी, जयपुर	एम.सी.ए. द्वितीय वर्ष	पत्राचार
9	सुश्री दीप्ति पाण्डेय	कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) कोटा	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय	एम.एस.सी. सी.एस	पत्राचार
10	सुश्री प्रियंका	कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	एम.सी.ए. 6th सेमेस्टर	पत्राचार
11	सुश्री सुनिता बराड़	कोष एवं लेखा विभाग, कम्प्यूटर सेल, वित्त भवन, जयपुर	नेशनल लॉ स्कुल ऑफ इंडिया	एम.बी.एल.	पत्राचार

उक्त शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष मे उतीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस मे उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसो के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।

5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी ।

7. अध्ययन वर्ष मे कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा ।

8. प्रशासनिक कारणो वश अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

9. परीक्षा के दिवसों मे लिये गये अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी मे आवेदित किये गये हो, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने का सर्म्पूण जिम्मा सम्बन्धित विभाग का होगा।

—sd—
(सीताराम स्वरूप)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन–एन.जी.)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रषित है।

1. संबंधित विभागाध्यक्ष।
2. संबंधित कर्मचारी।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(सीताराम स्वरूप)
प्रभारी अधिकार (संस्थापन–एन.जी.)